



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2284/2026

मोहड़ नावेद एलियास नावेद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता

: भास्कर भद्र

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता. की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस रिट याचिका में दिनांक 7.12.2025 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत केस क्राइम नंबर 356/2025, धारा 351(3), 352 और 109 भा0 न्या0 सं0 के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन- शीशगढ़, जिला- बरेली में दर्ज की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे से झूठा फंसाया गया है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित अहमद अली पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत में उल्लिखित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेलंगाना राज्य बनाम "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"**



हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में दिए गए कानून के मददेनजर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 843 ऑफ 2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी और अन्य के हालिया फैसले में।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़ित अहमद अली पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई, तथा विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध को प्रकट करती है और विद्वान प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

7. अतः विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।

8. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाए और उसका निपटारा किया जाए।

9. इन टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निस्तारित किया जाता है।

फरवरी 17, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”